

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323

दिनांक: 03.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026— पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन में मतगणना के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव, 2026 में पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी। यह मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में तथा उनके निर्देशानुसार सम्पन्न कराई जाएगी।

आयोग द्वारा पंच एवं सरपंच की मतगणना के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास सभी बूथों के मतदान दल के कार्मिक उपलब्ध होंगे। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा मतगणना के लिए दो दल बना दिये जायें। प्रथम दल को सरपंच पद के लिए होने वाली मतगणना का कार्य आवंटित कर दिया जाये तथा द्वितीय दल को पंचों की मतगणना का कार्य आवंटित कर दिया जाये।
2. सरपंच पद की मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त मतदान बूथों से मतपेटियां मतगणना केन्द्र पर आ चुकी हो।
3. द्वितीय दल द्वारा क्रमशः एक-एक मतपेटी को खोलकर वार्ड वाईज गुलाबी रंग के मतपत्रों के 50-50 के बंडल बनाकर रबर बैंड लगा दिये जायें। यह प्रक्रिया सभी बूथों पर उपयोग में ली गई मतपेटियों के लिए अपनाई जाये।

इसी प्रकार प्रथम दल द्वारा सरपंच पद के सफेद मतपत्रों के 50-50 के बंडल बनाकर रबर बैंड लगा दिये जायें।

4. पंच पद के वार्ड वाईज मतपत्रों की छटनी एवं बंडल बनाने के उपरांत मतदान बूथ के प्रत्येक वार्ड में पंच पद के लिए मतपत्रों की संख्या एक कागज पर अंकित कर लिया जाये एवं मतदान बूथ पर डाले गये मतों की संख्या से मिलान कर लिया जाये। मतदान दल के एक-एक कर्मचारी को अलग-अलग वार्ड की मतगणना का कार्य सौंप दिया जाये।

इसी प्रकार सरपंच पद के लिए मतपत्रों की छटनी एवं बंडल बनाने के उपरांत सरपंच पद के लिए मतपत्रों की संख्या बूथवार एक कागज पर अंकित कर लिया जाये एवं मतदान बूथवार डाले गये मतों की संख्या से मिलान कर लिया जाये। रिटर्निंग अधिकारी

स्वयं/सहायक मतदान अधिकारियों की सहायता से सरपंच पद के मतों की गणना का कार्य किया जाये।

5. पंच एवं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार वाईज (नोटा सहित) मतों की छटनी कर, वैध एवं अवैध मतों का निर्धारण कर लिया जाए। वैध एवं अवैध मतों का निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाये। खारिज मतपत्रों का अलग से बंडल बनाकर इन मतपत्रों का पुनः अवलोकन कर, उम्मीदवारों को बताकर अंतिम निर्णय लिया जाये। ऐसे खारिज मतपत्रों को खारिज करने का कारण अंकित कर मतपत्र पर सील लगाकर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें। यदि कोई अभ्यर्थी खारिज मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहे तो उसे नोट करवा दी जाये।
6. मतगणना के दौरान यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के बीच जीत का अन्तर बहुत कम हो तथा कोई अभ्यर्थी पुनः गणना कराने का आग्रह करे तो रिटर्निंग अधिकारी यदि उचित समझे तो पुनः गणना करा दी जाये।
7. जैसे-जैसे मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण होता जाए वैसे-वैसे पंच एवं सरपंच पद का परिणाम घोषित कर दिया जाए। पंच/सरपंच पद का परिणाम घोषित करने के उपरांत उस पद से संबंधित अन्य अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र पर नहीं रुकने दिया जाये।
8. पंच एवं सरपंच पद का परिणाम घोषित करने के पश्चात् निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी (प्ररूप-7) में अंकित कर लिया जाये।
9. पंच एवं सरपंच पद का चुनाव परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित प्ररूप-11 में शपथ दिला दी जाये। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया जाये तथा अभ्यर्थी से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर जी जाये।

भवदीय,


31/12/26

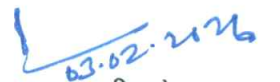
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1324-1327

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।


03.02.26

(अम्बा लाल मीणा)

उपसचिव